नैक (NAAC) द्वारा "A" ग्रेड प्राप्त

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

जनसंपर्क विभाग- Ph./Fax: 07152-252651 मो.9960562305 इ-मेल: mgahvpro@gmail.com

वेबसाइट : www.hindivishwa.org

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में
मानवाधिकार कार्यशाला उदघाटित

वर्धा, 19 सितंबर 2016: महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में विकास एवं शांति अध्ययन विभाग द्वारा 14 सितंबर से मानवाधिकार पर 15 दिवशीय कार्यशाला का उदघाटन प्रतिकुलपति प्रो. आनंद वर्धन शर्मा की अध्यक्षता में विकास एवं शांति अध्ययन विभाग के अध्यक्ष डॉ. नृपेन्द्र प्रसाद मोदी, पत्रकार वाई. एस. एन. विनोद, डॉ. डी. एन. प्रसाद, डॉ. राकेश मिश्रा की प्रमुख उपस्थिति में किया गया।

उदघाटन सत्र का प्रारम्भ डॉ. डी. एन. प्रसाद के स्वागत वक्तव्य से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार शब्द बाहर से आयातित शब्द है। हयूमन राइट का अनुवाद है मानवाधिकार। मनुष्य की गरिमा सर्वोच्च है इसके ऊपर ईश्वर भी नहीं और इसी के साथ मानवाधिकार जुड़ा है।

प्रतिकुलपति प्रो. शर्मा ने कहा कि मानवाधिकार शब्द की शुरूआत 1925 में यूरोप के जर्मनी के किसान आंदोलन से हुई। रूस की क्रांति ने पूरी दुनिया में मानवाधिकार के लिए प्रेरित किया इससे भारत भी अछूता नहीं रहा। उन्होंने अनेक घटनाओं का जिक्र किया जिनसे मानवाधिकार को समझा गया और इसकी आवश्यकता को समझा गया। गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में हुए अन्याय पूर्ण व्यवहार से लेकर, तैयब मुहम्मद, रज़िया तक का जिक्र कर उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति कैसे सारी चीजों को बदल सकता है। उन्होंने सेवाग्राम आश्रम में होने वाली सर्वधर्म प्रार्थना में शामिल होने का आग्रह विद्यार्थियों से किया।

एस. एन. विनोद ने कहा कि मानवाधिकार शब्द एक विवाद का रूप ले चुका है। अधिकार और कर्तव्य में बिना कर्तव्य के अधिकार की बात नहीं की जा सकती है। उन्होंने मीडिया और मानवाधिकार पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि पूर्वाग्रही सोच के अंतर्गत किसी विषय पर विचार मंथन न करें।

डॉ. नृपेंद्र प्रसाद मोदी ने बताया कि विश्वविद्यालय में ऐच्छिक विषय के रूप में मानवाधिकार को शामिल किया गया है। जोकि नियमित विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। उन्होंने मानवाधिकार पर महात्मा गांधी के विचारों को उल्लेखित करते हुए अधिकार एवं कर्तव्य पर बल दिया। कार्यशाला में शोधार्थी एवं विद्यार्थी सहभागी हुए हैं।